



171 राज्य सरकार द्वारा तब तक समय पर जो भी आदेश जारी किया जायेगा उनका पालन होगा ।

181 शिक्षा विभाग का निर्देश अध्यापक/कर्मचारियों में रखा जायेगा ।

191 उक्त आदेश में राज्य सरकार के प्राथमिकी के बिना कोई परिष्कार/अभियोग या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बन्धित होने के पूर्व निम्नलिखित दृष्टिकोण का विचार करे :-

111 विद्यालय में कार्यरत तब तक कर्मचारियों हेतु कोषागार को बना तागु करके पालन हो अथवा कराया जायेगा ।

121 विद्यालय में यदि कोई कर्मचारी से पूर्व का कोई कार्य सम्पन्न हो जा रहा है तो वह कोषागार के अन्तर्गत हेतु मान्य नहीं होगी ।

131 विद्यालय में जो भी आवश्यक प्रतिष्ठित कार्यरत है ।

141 विद्यालय में सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन मुहताम है के माध्यम से कराया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी प्रकार का बाधा पड़ा है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का मुश्किल या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेशित प्रमाण पर वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय

राज्य शाखा।  
संयुक्त तहसील ।

2663

संख्या 111/15-7-1996 तददिनांक

प्रतिबन्धित निम्नलिखित को सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- भारतीय संघीय शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
- 3- जिला शिक्षा विभाग, लखनऊ नगर ।
- 4- निदेशक, राज्य भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, उत्तर प्रदेश केन्द्र शिक्षा लखनऊ एवं लखनऊ नगर ।

Chairman  
International Centre English School  
Kanpur

भारत से,

*[Signature]*

राज्य शाखा।  
संयुक्त तहसील ।

Secretary  
International Centre English School  
KANPUR



SECRETARY

KANPUR

प्रेषक,

श्री अशोक गंगुली,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदायिक केन्द्र,  
प्रीत बिहार नई दिल्ली।

शिक्षा | 7 | अनुभाग

तद : दिनांक 09 जुलाई 1996

विषय:-इण्टरनेशनल सेन्टर इंग्लिस स्कूल कानपुर को कक्षा 9 से सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इण्टरनेशनल सेन्टर इंग्लिस स्कूल को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1.1। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 1.2। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.3। विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 1.4। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 1.5। संस्था शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 1.6। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।



- । 7। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- । 8। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पटल/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- । 9। अपनी शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बद्धता देने के पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित कर लिया जाय:-
- । 1। विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों हेतु ई0पी0एफ0 योजना लागू करके शासन को अवगत कराया जायेगा।
- । 2। विद्यालय में यदि कोई कक्षा 9 से पूर्व की कोई कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं तो वह सी0बी0एस0ई0 से मान्यता हेतु मान्य नहीं होगी।
- । 3। विद्यालय में सभी अध्यापक प्रशिक्षित कार्यरत हों।
- । 4। विद्यालय में सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से कराया जा रहा है।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी प्रकार यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

। अशोक गंगुली।  
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 2663/111/15-7-1996 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
- 4- निरीक्षक अखिल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक इण्टर नेशनल सेन्टर इंग्लिस स्कूल बृजेन्द्र स्वरूप पार्क कानपुर।

आज्ञा से,

। अशोक गंगुली।  
संयुक्त सचिव

